भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2244
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां

†2244. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर की सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इसके अंतर्गत सभी गांवों को शामिल करने और अधिक संख्या में किसानों को ऋण सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पीएसीएस की संख्या बढ़ाने की भी योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 29 जून, 2022 के आदेश के माध्यम से 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से अगले तीन वर्षों में 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को अनुमोदित किया गया । इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर में लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है । पैक्स के कंप्यूटरीकरण से उन्हें विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे जैसे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, त्वरित ऋण संवितरण सुनिश्चित होगा, लेनदेन दरों में कमी आएगी, भुगतानों के असंतुलनों में कमी होगी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन होगा और पारदर्शिता में वृद्धि होगी । कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के कार्यान्वयन से पैक्स अपने कार्यों को ऑनलाइन कर सकेंगे और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तीयन/ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।

(ख) से (ग): जी हां, मान्यवर । देश में 2,55,643 पंचायतों और 6,62,750 गावों की तुलना में लगभग 95,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स) हैं । कार्य आबंटन नियम, 1961 के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय के अधिदेशों में से एक "देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करना और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक करना" है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के पश्चात् पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां भी तैयार की गई हैं जिससे पैक्स, अपनी आय प्रवाहों का विविधीकरण कर सकें ताकि वे और अधिक ऋण सुविधाओं का उपभोग कर बदले में अपने सदस्यों को लाभ दे सकें, जो मुख्यत: किसान होते हैं ।

*****